

भारतसरकार /Government of India वितमंत्रालयराजस्वविभाग

Ministry of Finance, Department of Revenue कार्यालयआयुक्त /Office of the Commissioner सी.जी.एस.टीएवंकेंद्रीयउत्पादशुल्क

Central Goods Service Tax and Central Excise (CGST & CX) २९, भरतपुरीप्रशासनिकक्षेत्र 29, Administrative Area, Bharatpuri उज्जैन (मप्र)-४५६०१०/Ujjain (MP)-456010.

F.No.I(Gen) 19-04/GST/Trade Notice /19-20/

Ujjain, Date. 16.10.2019

इस पत्र के साथ मंत्रालय से प्राप्त अधिसूननी / परिपत्र / निर्देश व्यापार सूचना / जन सूचना / मुख्यालय उज्जैनसे जारी पत्र संख्या Trade Notice No./व्यापार सूचना संख्या 20/2019-20 dated 09.10.2019 की प्रति आयुक्तालय, सी. ज़ी. एस. टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, उज्जैन के निम्नलिख्ति अधिकारियों एवं अन्य की सूचना / मार्ग दर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जा रही है:

- 1. मुख्य आयुक्त, सी. ज़ी. एस. टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, भोपाल ।
- 2 आयुक्त, सी. ज़ी. एस. टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय, उज्जैन।
- 3 आयुक्त, (अपील)सी. ज़ी. एस. टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, इंदौर ।
- 4 आयुक्त,सीमाशुल्क,इंदौर।
- 5 आयुक्तलेखा परीक्षा,इंदौर।
- 6 अपर / संयुक्त आयुक्त, सी. ज़ी. एस. टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, उज्जैन।
- 7 सभी उप आयुक्त / सहायक आयुक्त , सी. ज़ी. एस. टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालयउज्जैन उज्जैनमुख्यालयशाखा(सांख्यिकी / निवारक / समीक्षा / कानूनी / गोपनीय / तकनीकी / लेखा परीक्षा/ न्याय निर्णयन-। /न्याय निर्णयन-॥)
- 8 सभी प्रभागीय उप आयुक्त / सहायक आयुक्त, सी. ज़ी. एस. टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुक्क, पीथमपुर-१/२/३,उज्जैन-१/२, रतलाम,खंडवा।
- समस्त व्यापार संघो / वाणिज्य संस्थानों / क्षेत्रीय सलाहकार समिति (Bhopal Zone) के सदस्यों एवं जन समस्या निवारण समिति के सदस्यों की सूचना हेतू ।
- The Chairman, All India Manufacturers Organizations, Ujjain, Pithampur, Ratlam, Khandwa.
- 11 Webmaster, Hqrs. Ujjain.
- 12 गार्ड / मास्टर फाईल ।
- 13 नोटिस बोर्ड

संलग्न : उपरोक्तानुसार

सहायक आयुक्त सी. ज़ी. एस. टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय उज्जैन



भारतसरकार /Government of India वित्तमंत्रालयराजस्वविभाग

Ministry of Finance, Department of Revenueकार्यालयआयुक्त /Office of the Commissioner

सी.जी.एस.टीएवंकेंद्रीयउत्पादशुल्क

Central Goods Service Tax and Central Excise (CGST & CX) २९, भरतपुरींप्रशासनिकक्षेत्र 29, Administrative Area, Bharatpuri उच्चीन (मप्र)-४५६०१०/Ujjain (MP)-456010.

F.No.I(Gen)19-04/GST/Trade Notice/19-20/

Ujjain, Date. 09.10.2019

व्यापार सुधनासंख्या 20/2019-20 उज्जैन दिनांक 09.10.2019

Subject:- Withdraw of Circular No. 105/24/2019-GST dated 28.06.2019 reg.

व्यापर एवं उद्योग वर्ग का ध्यान परिपत्र क्रमांक 112/31/2019-केंद्रीय कर दिनाकं 03.10.2019 पर आमंत्रित किया जाता हैं जो की फाइल क्रमांक CBEC-20/06/03/2019-केंद्रीय कर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, सीबीआईसी, नई दिल्ली द्वारा "Withdraw of Circular No. 105/24/2019-GST dated 28.06.2019" के संबंध में जारी किया गया हैं (प्रति सलंग्न)।

उपरोक्त प्ररिपत्र क्रमांक 112/31/2019-केंद्रीय कर दिनाकं 03.10.2019 की विषयवस्त् को आपके एसोसिएशन के सदस्यों को विशेष रूप से और सामान्य जन के ध्यान में लाये जाने का अन्रोध है।

संलग्न : ऊपरोक्त अनुसार

(डॉ. संदीप श्रीवास्तव) प्रधान आयुक्त

Circular No. 112/31/2019 - GST

F.No. CBEC – 20/06/03/2019 – GST

Government of India

Ministry of Finance

Department of Revenue

Central Board of Indirect Taxes and Customs

GST Policy Wing

New Delhi, the 3rd October, 2019

To

The Pr. Chief Commissioners / Chief Commissioners / Principal Commissioners / Commissioners of Central Tax (All)

The Principal Director Generals / Director Generals (All)

Madam / Sir,

Subject: Withdrawal of Circular No. 105/24/2019-GST dated 28.06.2019 - reg.

Kind attention is invited to Circular No. 105/24/2019-GST dated 28.06.2019 wherein certain clarifications were given in relation to various doubts related to treatment of secondary or post-sales discounts under GST.

- 2. Numerous representations were received expressing apprehensions on the implications of the said Circular. In view of these apprehensions and to ensure uniformity in the implementation of the provisions of the law across field formations, the Board, in exercise of its powers conferred by section 168(1) of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, hereby withdraws, *ab-initio*, Circular No. 105/24/2019-GST dated 28.06.2019.
- 3. It is requested that suitable trade notices may be issued to publicize the contents of this Circular. Hindi version will follow.

(Yogendra Garg) Principal Commissioner (GST)
